मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण संख्या–02, किशनगढ

दु. या. सं. 24/2021 (125/2017)

श्रीमती संतोष व अन्य बनाम देवनारायण व अन्य

दिनांक: 18.11.2025

वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित।

इस आदेश द्वारा अप्रार्थी सं. 1 देवनारायण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 दिनांकित 31.10.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभयपक्षों को सुना गया।

दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ने कथन किया है कि प्रकरण में अप्रार्थी बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स कंपनी द्वारा चन्द्रवीर सिंह विधि अधिकारी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बतौर गवाह एन.ए.डब्ल्यू 1 प्रस्तुत कर परीक्षित करा प्रदर्श एन.ए. 2 नो क्लेम बोनस को प्रदर्शित करवाया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण व जिरह के दौरान उक्त दस्तोवज के संबंध यह कथन किया है कि उक्त दस्तावेज रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को अप्रार्थी सं 1 के पंजीकृत स्वामी के वाहन सं आर. जे.–01–जीए.–3529 दिनांक 28.01.2008 से दिनांक 27.01.2009 के दरमियान नो क्लेम बोनस के बारे में जारी किया गया है। उक्त वाहन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के यहां बीमित रहा है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। अतः नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से जोड़े जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का प्रार्थी व अप्रार्थी सं 2 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया व उक्त प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति होना जाहिर किया है।

उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने जरिए प्रार्थना पत्र नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के यहां स्वयं का वाहन पंजीकृत होने के आधार पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार कायम करने का कथन किया है। अप्रार्थी सं. 2 बीमा कंपनी की ओर से गवाह एन.ए.डब्ल्यू. 1 चन्द्रवीर सिंह को परीक्षित करवाया गया है, जिसने

18/11/25

न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
अजमेर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं.–02

अपनी साक्ष्य में वाहन सं. आर.जे.–01–जी.ए.–3529 के वाहन स्वामी को उनकी कंपनी द्वारा एन.सी.बी. कंफर्मेशन लेटर के बाद 20 प्रतिशत नो क्लेम बोनस के रूप में छूट दिया जाना, जो प्रदर्श एन.ए. 2 के ए से बी भाग में अंकित होना बताया है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के यहां उक्त वाहन के बीमित होने से उसे पक्षकार बनाए जाने का निवेदन किया है व प्रार्थी व अप्रार्थी सं 2 ने अनापत्ति की है। अतः ऐसी स्थिति में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी आवश्यक पक्षकार होने से उसे बतौर अप्रार्थी सं 3 संयोजित किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी सं. 1 देवनारायण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 दिनांकित 31.10.2025 स्वीकार किया जाकर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जरिए मण्डल प्रबंधक, कार्यालय पता कचहरी रोड, अजमेर को बतौर अप्रार्थी सं. 3 पक्षकार कायम किए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रोसेस फीस पेश होने पर अप्रार्थी सं 3 को जरिए नोटिस तलब किया जावे।

पत्रावली वास्ते अप्रार्थी सं. 3 की तामीली में दिनांक 21.11.2025 को पेश हो।

18/11/25

न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
श्रम जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं.-02
किशनगढ़ (अजमेर)